संख्या-21/2018/ 1832/ 46-2-18-83/2016

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक** 20 **दिसम्बर, 2018**

विषय:-चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/ रियायतों हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1285/क्रय/नीति-2013 दिनांक 01.03.2017 तथा पत्र संख्या-135/शोध एवं समन्वय /नीति-2013 दिनांक 20.07.2018, जिसके माध्यम से चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत इकाईयों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने की संस्तुति की गई है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी, उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं.-24 में स्वीकृत रू.25.00 करोड़ (रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 13.9.2018 को हुई बैठक में 08 कम्पनियों/ इकाइयों यथा- कुम्भी लि; लखीमपुर खीरी को रू.45,40,273.00, धामपुर शुगर मिल रजपुरा, जनपद सम्भल को रू.2,49,29,197.00, एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि. जनपद पीलीभीत को रू.15,12,328.00, टिकोला शुगर मिल लि. टिकोला जनपद-सहारनपुर को रू.3,97,81,400.00, डी.एस.सी.एल. ग्रुप की इकाई अजबापुर जिला-लखीमपुर खीरी को रू.2,54,11,807.77, गोविन्द शुगर मिल लि. जिला-लखीमपुर खीरी को रू.1,33,89,925.00, सहकारी चीनी मिल्स लि. स्नेहरोड, नजीबावाद, जिला बिजनौर को रू.53,58,413.00 एवं सहकारी चीनी मिल्स लि. सठियांव जिला-आजगमढ को रू.4,40,000.00 कुल अंकन रू.12,56,93,155.77 अर्थात रू.12,56,93,156.00 (रूपया बारह करोड़ छप्पन लाख तिरान्वे हजार एक सौ छप्पन मात्र) एकमुश्त व आवर्ती दावों के अन्तर्गत 05 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय उपरोक्त छूट/रियायतों हेतु तत्काल उपलब्ध करायें।

....2/

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

3. उक्त धनराशि उसी कार्य के लिये व्यय की जायेगी जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

4. चीनी आयुक्त उक्त आहरण की सूचना उपमहालेखाकार(राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर, संख्या, तिथि, लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

5. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन तथा महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसा भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय-व्ययक की अनुदान सं.-24 के लेखाशीर्षक 2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 201-चीनी-08-चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतें-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं.-1/2018 बी-1-375 /दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-21 /2018/ 1832 (1)/ 46-2-2018-83/2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
4- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra